To Shift Grain Market

*14 Sh. DHARAM PAL GONDAR (Nilokheri):

Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to shift the grain market situated in Nilokheri outside on the G.T. road; and
- b) if so, the time by which the said grain market is likely to be shifted keeping in view of the situation of jam which is continuously increasing in the City togetherwith the details thereof?

JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

- a) Yes Sir;
- b) The approval for transfer of 23.50 Acre Panchayat land of village Pujam & Manak Majra has been granted by the Development & Panchayat Department for development of New Grain Market. Some plots of 100 square yard allotted during 1979 under 'Twenty Point Program' fall on the proposed land of village Manak Majra and shifting of these plots is under consideration with District Administration. So, no time frame can be given at this stage.

NOTE FOR PAD

To Shift Grain Market

*14 Sh. DHARAM PAL GONDAR (Nilokheri)

The HSAM Board was set up on 1st August, 1969 for exercising superintendence and control over the Market Committees in the Haryana State. Since inception, the Board has established 114 Principal Yards, 172 Sub Yards and 204 Purchase Centers in the State.

Hon'ble Chief Minister has announced to shift the Anaj Mandi, Nilokheri to outer area of Nilokheri city vide announcement code no. 23298 dated 17.09.2018. At present, the Grain Market, Nilokheri is functioning on 4 acre private land. The location of the market is in the town area causing congestion and space is also insufficient to handle grains during procurement season. The income and arrival from the Mandi during last 7 years is as under:-

Sr. No.	Financial year	Arrival	Income
		(In Quintal)	(In Rupees)
1	2016-17	244110	8667513
2	2017-18	255255	10378823
3	2018-19	255718	10205225
4	2019-20	270446	11631409
5	2020-21	309003	9863068
6	2021-22	295645	12849937
7	2022-23	263079	11085132

Keeping in view the arrival and problem of traffic congestion in the city, it is proposed to shift the exiting mandi out of the city. The Government vide order dated 28.08.2019 has approved the transfer of 23.5 acre Gram Panchayat land of village Manak Majra and Pujam for development of New Grain Market. Some residential plots of size 100 square yard were allotted on the proposed land of Gram Panchayat Manak Majra under 'Twenty Point Program' during the year 1979. These plots are located on the land connecting the proposed mandi area with the main road (NH-44) which are required to be shifted to provide clear and wide approach for the proposed market. The matter for shifting of these plots from Khasra no. 296/4,5,6,10,11,12 to with District Khasra no. 296/4 is under consideration Administration. The development works will be taken up after shifting of these plots.

As the shifting of the existing plots from the proposed land for New Grain Market, Nilokheri is under consideration with the District Administration and construction activity will be taken up thereafter, so no time frame for shifting of the existing Grain Market, Nilokheri can be given at this stage.

अनाज मंडी को स्थानांतरित करना

*14 श्री धर्मपाल गोंदर (नीलोखेड़ी) :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि-

- (क) क्या यह तथ्य है कि नीलोखेड़ी में स्थित अनाज मंडी को बाहर जी.टी. रोड़ पर स्थानांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी; तथा
- (ख) यदि हां, तो उक्त अनाज मंडी को शहर में लगातार बढ़ते जाम को ध्यान में रखते हुए कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

- (क) जी हां श्रीमान् ;
- (ख) विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा नई अनाज मंडी बनाने हेतू पूजम व मनक माजरा गांव की 23.50 एकड़ पंचायती भूमि के स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 1979 के दौरान "20 सुत्रीय कार्यक्रम" के अन्तर्गत मनक माजरा गांव की प्रस्तावित भूमि पर 100 वर्ग गज के प्लॉट आबंटित किए गए थे तथा इन प्लॉटों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जिला प्रशासन के पास विचाराधीन है अतः वर्तमान स्थिति में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

नोट फॉर पैड अनाज मंडी को स्थानांतरित करना *14 श्री धर्मपाल गोंदर (नीलोखेडी)

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1969 को राज्य की सभी मार्किट कमेटियों के नियंत्रण व उन्हें सुचारु रूप से चलाने हेतू किया गया था। गठन से अब तक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में 114 मुख्य यार्ड, 172 सब यार्ड तथा 204 खरीद केन्द्र स्थापित किये गए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा क्रमांक 23298 दिनांक 17.09.2018 के अन्तर्गत नीलोखेड़ी की पुरानी अनाज मंडी को शहर के बाहर स्थानांतरण करने बारे घोषणा की गई थी। वर्तमान में अनाज मंडी, नीलोखेड़ी 4 एकड़ निजी भूमि पर चल रही है। यह मण्डी कस्बे मे स्थित होने के कारण भीड़-भाड़ की स्थित बनी रहती है तथा मण्डी मे खरीद के दौरान आवक को रखने हेतू जगह की भी कमी रहती है। मंडी में पिछले 7 साल की आवक व आय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आवक (किवंटल में)	आय (रुपयों में)
1	2016-17	244110	8667513
2	2017-18	255255	10378823
3	2018-19	255718	10205225
4	2019-20	270446	11631409
5	2020-21	309003	9863068
6	2021-22	2956465	12849937
7	2022-23	263079	11085132

सीजन के दौरान मंडी मे आनें वाली आवक व शहर में लगातार बढ़ती जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मंडी को शहर के बाहर स्थानांतरण करने की योजना है। सरकार के द्वारा दिनांक 28.08.2019 के आदेशो द्वारा नई अनाज मंडी बनाने हेतू पूजम व मनक माजरा गांव की 23.50 एकड़ पंचायती भूमि के स्थानांतरण बारे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्ष 1979 के दौरान "20 सुत्रीय कार्यक्रम" के अन्तर्गत मनक माजरा गांव की प्रस्तावित पंचायती भूमि पर 100 वर्ग गज के रिहायशी प्लॉट आबंटित किए गए थे। ये रिहायशी प्लॉट प्रस्तावित मंडी की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से जोड़ने वाले रास्ते पर पड़ते हैं जिन्हें यंहा से स्थानांतरण करने की आवश्यकता है ताकि प्रस्तावित मंडी के लिए चौड़ा रास्ता उपलब्ध हो सके। इन प्लॉटों को पंचायती भूमि के खसरा न॰ 296/4, 5, 6, 10, 11, 12 से खसरा न॰ 296/4 में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन के पास विचाराधीन है। मंडी के निर्माण का कार्य इन प्लॉटों के स्थानांतरण उपरान्त शुरू किया जाएगा।

जैसे की मौजूदा प्लॉटों को नई अनाज मंडी के लिए प्रस्तावित भूमि से स्थानांतरण करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन के पास विचाराधीन है तथा मंडी के निर्माण का कार्य इन प्लॉटों के स्थानांतरण उपरान्त ही शुरू किया जायेगा। अतः मौजूदा अनाज मंडी नीलोखेड़ी के स्थानांतरण बारे वर्तमान मे कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।